संख्याः 214 /XVII(1)/06–09(प्रकोष्ठ)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
सचिवालय प्रशासन,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग। देहरादून, दिनांकः 07 मार्च, 2006

विषयः **समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि का आबंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सचिवालय स्तरीय समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी.एम. –15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कुल **रूपये 62,000/– (रूपये बासठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रकार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

लेखा शीर्षक : **अनुदान संख्या–30** आयोजनागत मतदेय

2225–01–001–07–00

मुख्य शीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक 001–निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक 07–एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान
ब्यौरेवार शीर्षक 00–

(धनराशि रूपये में)

मानक मद	पूर्व में आबंटित धनराशि	पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत वर्तमान में आबंटित की जा रही धनराशि	कुल आबंटित धनराशि (प्रगामी योग)
01–वेतन	6,46,905	10,000	6,56,905
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	94,000	52,000	1,46,000
योग :	**7,40,905**	**62,000**	**8,02,905**

(रूपये दो लाख सैंतालिस हजार मात्र)

2. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

क्रमशः ..... 2 पर

4. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–30 "आयोजनागत" के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर–1 में अंकित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुर्नविनियोग के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1138/XXVII(3)/2005, दिनांकः 02 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 814 (1)/XVII(1)/06–09(प्रकोष्ठ)/2004/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, एन.आईसी.,उत्तरांचल, देहरादून ।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल) ।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल शासन ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

...का विवरण	व्यय	में अनुमानित व्यय	धनराशि		...की पूरी धनराशि	(स्तम्भ–1 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनु.सं0–30 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियोंका कल्याण 001–निदेशन तथा प्रशासन 07–एस.सी.पी. / टी.एस.पी.नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान 02–मजदूरी 25 45–अवकाश यात्रा व्यय 50	– –	– 01	25 49	अनु.सं0–30 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 001–निदेशन तथा प्रशासन 07–एस.सी.पी. / टी.एस.पी.नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान 01–वेतन 10 17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व 52	915 146	13	(क)एस0सी0पी0 / टी0एस0पी0 नियोजन प्रकोष्ठ अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी एवं मानक मद 45–अवकाश यात्रा व्यय में धनराशि का व्यय कम होने के कारण बचत होने का अनुमान है । (ख)मानकमद–01–वेतन तथा मानक मद 17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व में धनराशि कम पड़ने के कारण इस मद में पुनर्विनियोग आवश्यक है.
योग 75	–	01	74	योग : 62	1061	13	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है.

(राधा रतूड़ी)
सचिव,
समाज कल्याण.

उत्तरांचल शासन
वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग –3
सं0–1139/XXVII(3)/2005–2006
देहरादून: दिनांक:02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत ।

(एल0एम0पन्त) 2/3/2006
अपर सचिव, वित्त.

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल, माजरा,देहरादून।

संख्या–214 /XVII(1)/06–09(प्रकोष्ठ)/2004/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी,सचिवालय प्रशासन, देहरादून।
2. निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, ।

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव,
समाज कल्याण.